संख्या-10/2018/1012/77-3-18-28(बजट)/2017

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 20 मार्च, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना (ग्रीन फील्ड) हेतु अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के लिए बाउन्ड्री पिलर लगाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3519/यूपीडा/08/147 दिनांक 23.01.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे-24 बृहद निर्माण कार्य" की मद में प्राविधानित धनराशि में से रू0 2,30,00,000.00 (रूपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) यूपीडा द्वारा कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता अपने स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।
(2) आर0एफ0पी0 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण करते हुए धनराशि की देयता आंकलन करने का दायित्व यूपीडा को होगा।
(3) उपरोक्त बिन्दु-2 के अनुसार धनराशि देय होने तथा तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरण किया जायेगा और आहरित कर सीधे संबंधित संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
(4) किसी भी परिस्थिति में पूर्व से धनराशि का आहरण करके यूपीडा के पी0एल0ए0 खाते/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) विकासकर्ताओं को रनिंग/स्टेज भुगतान निविदा प्रपत्र एवं अन्य दी गयी शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) व्यय की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा द्वारा यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27.12.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 2,30,00,000.00 (रूपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे-24 बृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई-6-187 /दस-2018, दिनांक 17 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2018/1012(1)/77-3-18-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in